(5

समाहरणालय, जहानाबाद

बिहार सरकार
ई-मेल- dm-jehanabad.bih@nic.in
adm.jeh.bih@gmail.com
वेबसाइट -jehanabad.nic.in
दूरभाष फैक्स/06114-223142
06114-225959

पत्रांक-................./रा0, (जिला राजस्व शाखा) दिनांक-..........वीं मार्च 2022

प्रेषक,

समाहर्त्ता,
जहानाबाद।

सेवा में,

अध्यक्ष,
बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद,
विद्यापति मार्ग, पटना-800001.

विषयः- **बिहार विधान सभा की प्रकिया एवं कार्य संचालन का नियम 104** (2) के अन्तर्गत श्री संजय सरावगी एवं अन्य माननीय सदस्य, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण के संबंध में।

प्रसंगः- भवदीय पत्रांक-5425 दिनांकः-05.03.2022 एवं संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी बिहार, पटना का पत्रांक-1255/जे0 दिनांक-05.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में श्री संजय सरावगी एवं अन्य माननीय स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित बांछित प्रतिवेदन निम्न प्रकार भेजा जाता है।

क्र.	ध्यानाकर्षण सूचना	प्रतिवेदिन
1	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील सं0-4850/2021 (ARISING OUT OF SLP(CIVIL) NO-33675 OF 2017) के अनुसार कंडिका-27 में देश के सभी राज्यों के मठ/मंदिरों की परिसम्पतियों को किसी सेवादार को बेचने का अधिकार नहीं है, सेवादार हकदार नहीं है। सेवादार का नाम सिर्फ राजस्व विभाग के रिमार्क कॉलम में ही रह सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन।	सरकार से संबंधित है निदेश प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जायगी।
2	अपने अधीनस्थ क्षेत्र के अधीन मठ/मंदिर, जो निबंधित/अनिबंधित है, का कुल सं0 प्रमंडलवार/जिलावार, खाता, खेसरा, रकवा (एकड़) मे उपलब्ध कराया जाए।	धार्मिक न्यास पर्षद, बिहार, पटना के पत्रांक-254, दिनांक-30.04.21 से प्राप्त सूची के अनुसार हिन्दू धार्मिक स्थल यथा मठ/मंदिर/धर्मशाला आदि की कुल स0-94 जिनमें से जहानाबाद जिला की कुल सं0-76 है निबंधित की सं0-76, खाता, खेसरा, रकवा प्राप्त मंदिरों की सं0-55, रकवा-95 एकड़ 26.5 डि0 (सूची संलग्न) । शेष-21 मंदिरों का सर्वेक्षण कार्य की जा रही है। धार्मिक न्यास पर्षद से प्राप्त सूची के अतिरिक्त अनिबंधित-03, रकवा-15.037 एकड़।
3	अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अन्तर्गत चिन्हित/सर्वेक्षित मठ/मंदिर की भूमि की पैमाईश कराकर पिलरिंग हेतु वांछित राशि से संबंधित आवंटन का मांग प्रतिवेदन।	मठ/मंदिर की भूमि की पैमाईश कराई जा रही है। पैमाईश के उपरांत नियमानुसार आवंटन की मांग की जाएगी।
4	अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अंतर्गत मठ/मंदिर की वैसी जमीन जिसपर अवैध कब्जा है उसकी पूरी सूची एवं उसे मुक्त कराने एवं विकी पर रोक लगाने की क्या कार्रवाई की गयी इससे संबंधित प्रतिवेदन	अतिक्रण से संबंधित कोई भी मामला की सूचना प्राप्त नही है। इस कार्यालय के ज्ञापांक-177/रा0 दिनांक-02.02.2022 के द्वारा बिक्री पर रोक लगाने हेतु अवर निबंधक पदाधिकारी को निदेशित किया गया है।

विश्वासभाजन,
Sd/-
समाहर्त्ता, जहानाबाद।

ज्ञापांक 308 /रा0 जहानाबाद दिनांकः- 6 वीं0 मार्च 2022

प्रतिलिपिः- संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 6.3.22
समाहर्त्ता, जहानाबाद।